सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2021 ई0 (चैत्र 20, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

03 फरवरी, 2021 ई0

पत्रांक 6438/3–सा0नि0अनु0/20–21–नगरपालिका परिषद् रामनगर, जिला–नैनीताल, द्वारा उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड, की धारा–298(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड के प्रस्ताव सं0–1 (विशेष), दिनांक 01–02–2021 द्वारा वर्तमान में प्रभावी, निर्माण कार्य एवं निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदारी पंजीयन नियमावली, जो सरकारी गजट में दिनांक 13 नवम्बर, 2004 ई0 में प्रकाशित हैं, को अवक्रमित कर, ठेकेदारी पंजीयन हेतु उपविधि बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड, की धारा–301(2) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषद्, रामनगर, ठेकेदारी पंजीयन उपविधि का प्रकाशन सरकारी गजट उत्तराखण्ड में किया जाता है।

उपविधि

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार-

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद रामनगर ठेकेदारी पंजीयन उपविधि कहलायी जायेगी।

(ख) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

(ग) यह उपविधि नगरपालिका रामनगर द्वारा कराये जाने वाले सभी प्रकार के सिविल निर्माण कार्यो (मरम्मत/पुनर्निर्माण/निर्माण) तथा सिविल निर्माण कार्यो हेतु, निर्माण सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी, कार्य करने हेतु पंजीकरण कराने के इच्छुक सभी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी पर लागू होगी। राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी अथवा नगरपालिका द्वारा अन्यथा आदेश/प्राविधान किये जाने की दशा को छोड़ कर, इस उपविधि के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, जिसे आगे चलकर पंजीकृत ठेकेदार कहा गया है, ही नगरपालिका द्वारा सम्पादित किये जाने वाले सिविल निर्माण कार्यो एवं निर्माण सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी कार्य करने हेतु अर्ह होगें, परन्तु जब नगरपालिका का यह समाधान हो जाए कि, किसी/किन्ही कार्य विशेष के सम्पादन हेतु नगरपालिका में पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तब सम्बन्धित कार्य की निविदा में प्रतिभाग हेतु, लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों में कार्य विशेष हेतु अनुभवी, दक्ष तथा अर्ह/पंजीकृत, ठेकेदार भी पात्र होगें।

2. परिभाषाएं- जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड से है।
(ख) ''राज्य सरकार'' से तात्पर्य, उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है।
(ग) ''नगरपालिका'' से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद, रामनगर से है।
(घ) ''कार्यालय'' से तात्पर्य, कार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर से है।
(ड़) ''बोर्ड'' से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद, रामनगर के निर्वाचित बोर्ड से है।
(च) ''पंजीयन'' से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद, रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन उपविधि के अन्तर्गत पंजीयन से है।

3. पंजीयन- नगरपालिका द्वारा ठेकेदारों का पंजीयन, तीन श्रेणीयों, श्रेणी ''ए'', श्रेणी ''बी'' एवं श्रेणी ''सी'' में किया जायेगा। यदि किसी ठेकेदार का उपविधि के अग्रतर उपबन्ध-6 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त न कर दिया गया हो या तत्समय प्रवृत्त नगरपालिका/राज्य सरकार के किसी आदेश, के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा पंजीकरण हेतु अनर्हता प्राप्त न कर ली गयी हो, तो पंजीयन तीन वर्ष हेतु प्रभावी होगा तथा तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व उपविधि के अग्रतर उपबन्ध-7 के अन्तर्गत पंजीयन का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

4. अर्हता- नगरपालिका परिषद द्वारा पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदारों हेतु निम्नानुसार अर्हता निर्धारित की जाती है-

(क) अनुभव-

(i) श्रेणी ''ए''- श्रेणी ए में पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम, में न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि तक कार्य करने तथा कार्यावधि में न्यूनतम 25 लाख रू0 लागत तक के निर्माण कार्य/कार्यो को सम्पादित करने का अनुभव हो।
(ii) श्रेणी ''बी''- श्रेणी बी में पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम, में न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि तक कार्य करने तथा कार्यावधि में न्यूनतम 15 लाख रू0 लागत तक के निर्माण कार्य/कार्यो को सम्पादित करने का अनुभव हो।
(iii) श्रेणी ''सी''- श्रेणी सी में पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम, में पंजीकृत ठेकेदार हो अथवा राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम में पंजीकृत ठेकेदार के साथ कार्य करने का अनुभव।

(ख) हैसियत- श्रेणी ''ए'' में पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी के पास, न्यूनतम 10 लाख रूपये, श्रेणी ''बी'' हेतु, न्यूनतम 5 लाख रूपये एवं श्रेणी ''सी'' हेतु, न्यूनतम 2 लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, जिसका हैसियत प्रमाण-पत्र, सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(ग) स्थाई जमानत- नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को श्रेणी ''ए'' हेतु 50 हजार रूपये, श्रेणी ''बी'' हेतु 25 हजार रूपये तथा श्रेणी ''सी'' हेतु 15 हजार रूपये, की स्थाई जमानत, जो राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक एवं बैंक गारण्टी के रूप में हो, जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने की दशा में जब्त किये जाने/कटौती किये जाने को छोड़ कर, पंजीयन निरस्त होने के उपरान्त स्थाई जमानत वापस कर दी जायेगी।

(घ) चरित्र -

(i) नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ संस्था/कम्पनी का चरित्र ठीक होना चाहिए, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया हो।

(ii) नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, देयताधीन (रिसिवरशिप), दिवालिया न हो या उसके कारोबार का समापन न किया गया हो अथवा किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी की निगरानी में न किया जा रहा हो, निलम्बन की स्थिति में न हो या इनमें से किसी भी प्रकरण में उन पर विधिक वाद न चल रहा हो।

(iii) नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी सामाजिक सुरक्षा के दायित्व अंशदानों की देयता को पूर्ण करते हो।

(iv) नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी किसी अपराधिक कृत्य, जो व्यवसायिक संहिता या गलतबयानी या गलत प्रस्तुतीकरण के कारण, जो अधिप्राप्ति सम्बन्धी संविदा की योग्यता का आधार हो, में न पाये गये हो या प्रशासनिक निलम्बन या प्रतिबन्धित होने कारण दोष सिद्ध न हो अन्यथा अयोग्य घोषित न किए गए हो।

(ड) पंजीयन शुल्क- पंजीयन प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने की तिथि से एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व श्रेणी ''ए'' हेतु अंकन 5,000.00रू0, श्रेणी ''बी'' हेतु अंकन 2,500.00रू0 एवं श्रेणी ''सी'' हेतु अंकन 2,000.00रू0 पंजीयन शुल्क कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने पर प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

5. पंजीयन हेतु आवेदन- नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रतिवर्ष माह मार्च में दिये जा सकेगें। राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीय विपत्ति/महामारी अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने की समयावधि में परिवर्तन किया जा सकता है। पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को निर्धारित अवधि में निम्न अभिलेखों सहित आवेदन करना होगा-

(क) प्रार्थना पत्र- प्रार्थना-पत्र, जिसमें वांछित पंजीकरण श्रेणी तथा प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का स्पष्ट उल्लेख हो।

(ख) अनुभव प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध 4(क) में उल्लेखित अर्हता की प्रतिपूर्ति हेतु, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, आवेदित श्रेणी के लिये निर्धारित, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(ग) हैसियत प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध 4(ख) में उल्लेखित अर्हता की प्रतिपूर्ति हेतु, आवेदित श्रेणी के लिये निर्धारित धनराशि के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।

(घ) स्थाई जमानत- उपविधि के उपबन्ध 4(ग) में उल्लेखित अर्हता की प्रतिपूर्ति हेतु, आवेदित श्रेणी के लिये निर्धारित धनराशि की स्थाई जमानत।

(ड) चरित्र प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध 4(घ)(i) में उल्लेखित अर्हता की प्रतिपूर्ति हेतु, जिलाधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा उपविधि के उपबन्ध 4(घ)(ii), 4(घ)(iii) एवं 4(घ)(iv) के प्राविधानों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र की मूल प्रति।

6. पंजीयन समीक्षा- कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष माह मार्च में पंजीकृत ठेकेदारों की कार्यपूर्ति क्षमता एवं अर्हता की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में किसी भी पंजीकृत ठेकेदार की कार्यपूर्ति क्षमता में कमी पाये जाने अथवा नगरपालिका को ठेकेदार के सम्बन्ध में उपविधि के उपबन्ध 4(क), 4(ख), 4(घ) में उल्लेखित अर्हता से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य/अभिलेख/सूचना प्राप्त होने पर, सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा, परन्तु जब

नगरपालिका का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना उचित होगा, तब वार्षिक समीक्षा से इतर भी किसी भी ठेकेदार की कार्यपूर्ति क्षमता एवं अर्हता की समीक्षा की जा सकेगी तथा समीक्षा में कार्यपूर्ति क्षमता में कमी पाये जाने अथवा ठेकेदार द्वारा उपविधि के उपबन्ध 4(क), 4(ख), 4(घ) में कोई अनर्हता प्राप्त किये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा।

7. पंजीयन नवीनीकरण- कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों को पंजीयन तिथि से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व माह मार्च में पंजीयन नवीनीकरण हेतु अभिलेख, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, संलग्न कर आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन न करने पर पंजीयन निरस्त समझा जायेगा तथा ऐसे ठेकेदार अन्य निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर पुनः पंजीयन के पात्र होंगे।

(क) प्रार्थना पत्र- प्रार्थना-पत्र, जिसमें वांछित नवीनीकरण श्रेणी तथा संलग्न अभिलेखों का स्पष्ट उल्लेख हो।

(ख) हैसियत प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध सं0-4(ख) के सम्बन्ध में इस आशय का शपथ-पत्र कि ठेकेदारी पंजीयन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न हैसियत प्रमाण-पत्र में उल्लेखित सम्पत्ति न तो खुर्द-बुर्द की गयी है और न ही देयताधीन है।

(ग) चरित्र प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध 4(घ)(i) के अनुपालन में जिलाधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा उपविधि के उपबन्ध 4(घ)(ii), 4(घ)(iii) एवं 4(घ)(iv) के प्राविधानों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र की मूल प्रति।

(घ) क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र- नगरपालिका द्वारा संविदा शर्तो के अनुपालन हेतु तत्समय दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करने तथा नगरपालिका द्वारा संविदा शर्तो के अनुपालन में अर्थ दण्ड/क्षतिपूर्ति के आदेश दिये जाने पर, अर्थ दण्ड/क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली चल-अचल सम्पत्ति से किये जा सकने के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति पत्र/शपथ-पत्र की मूल प्रति।

(ङ) नवीनीकरण शुल्क- प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने की तिथि से एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व श्रेणी ''ए'' हेतु अंकन 2,500.00रू0, श्रेणी ''बी'' हेतु अंकन 1,500.00रू0 एवं श्रेणी ''सी'' हेतु अंकन 1,000.00रू0 नवीनीकरण शुल्क कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने पर नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

8. कार्य सीमा- कार्यालय में पंजीकृत श्रेणी "सी" के ठेकेदार, अधिकतम 10 लाख रूपये आंगणन राशि, श्रेणी "बी" के ठेकेदार, अधिकतम 20 लाख रूपये आंगणन राशि तथा श्रेणी "ए" के ठेकेदार, नगरपालिका द्वारा समस्त कार्यो के सम्पादन हेतु, आमंत्रित निविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होगें, परन्तु नगरपालिका किसी कार्य विशेष की जटिलता/विशेषता/महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, निविदा में प्रतिभाग हेतु तकनीकी क्षमता/दक्षता/कार्य अनुभव/टूल्स एण्ड प्लान्टस से सम्बन्धित, शर्त/शर्तें निर्धारित कर सकती है।

मो0 अकरम,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, रामनगर।